<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>जिला—बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक—1275 / 2013 संस्थित दिनांक—30.12.2013 फाई. क.234503003222013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — अ<u>भियोजन</u> // <u>विरुद</u> //

बबलू उर्फ नरेन्द्र पिता छतरसिंह परते, उम्र–19 साल जाति गोंड, थाना मलाजखंड जिला बालाघाट

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-04/09/2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि उसने दिनांक 25.11.2013 को शाम के करीब 7:30 बजे स्थान परसाटोला थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी छोटू मरकाम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर फरियादी छोटू मरकाम को लाठी तथा लोहे से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी छोटू मरकाम ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 25.11.2013 को शाम 7:30 बजे करीब उसके खेत पड़ौसी बबलू उर्फ नरेन्द्र पिता छतरसिंह परते ने जमीन विवाद पर गंदी—गंदी गाली देकर बाड़ी की लकड़ी एवं लोहे की छड़ से मारपीट कर चोट पहुँचाया एवं जान से मारने की धमकी दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही उपरांत आरोपी

के विरूद्ध यह अभियोग पत्र क्रमांक 153 / 13 दिनांक 04.12.2013 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.11.2013 को शाम के करीब 7:30 बजे स्थान परसाटोला थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी छोटू मरकाम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी छोटू मरकाम को लाठी तथा लोहे से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक-01, 02 एवं 03

- **05** सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 06— साक्षी गोमतीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग तीन साल पूर्व रात्रि 7:00 बजे की है। उसके पति छोटू मरकाम घर की तरफ लौट रहे थे।

उसने अपने जेठ के लड़के को खेत तरफ भेजा कि उसके चाचा क्यों नहीं आये है, तो उसका भतीजा सालिक खेत तरफ गया और फोन करके उसे बताया कि चाचा बीच रोड में पड़े है, किसी ने मार दिया है। रात्रि के 10:00 बजे वह और उसकी जेठानी रामकलींबाई साथ में गये। अंधेरा होने से उन्हें वहां जाने में डर लग रहा था, तब उन लोग पड़ोस के काका को लेकर गये थे तो देखा कि उसका पति छोटू वहां मृत पड़ा था और उस स्थान पर उसके पति के सिर के पास दो बड़े पत्थर पड़े थे, फिर उनका भतीजा सालिक एवं उसके ससुर जो पहले ही थाना पहुँच चुके थे, ने बताया, तब पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। पानी अधिक गिरने के कारण पुलिस ने कहा कि अभी इन्हें अपने घर ले जा लो, तब उन लोग मृतक छोटू मरकाम को अपने घर लेकर आ गये थे। उसके पति को सिर पर चोट थी। सिर कुचल गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— साक्षी गोमतीबाई अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसे घटना की तारीख याद नहीं है। घटना शाम की 7:00 बजे की है। घटना तीन साल पुरानी होने के कारण उसे आज घटना की तारीख और दिन याद नहीं है। यह अस्वीकार किया कि उसका पित छोटू मरकाम घर से खेत तरफ धान गृहानी के लिये गया था, वह अपने पित को आधा घंटे बाद देखने के लिए गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसका पित छोटूराम चौराहा पर रोड पर पड़ा था, उसने अपने पित छोटू से पूछा क्या हो गया है, तब उसके पित छोटू मरकाम ने उसे बताया कि वह घर से खेत तरफ जा रहा था, तब बबलू परते उसे मिला, जमीन के झगड़े की बात को लेकर उसके पित को आरोपी ने मारपीट किया था, उसे बताया था, उसे उसके पित ने बताया था कि आरोपी ने उसे जो बाड़ी में मुर्दा गड़ाते है, उस लकड़ी से मारपीट किया, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी ने उसके पित को लोहे की राड से माराथा। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उनका पूर्व से ही बबलू परते से जमीन की बात को लेकर विवाद चला आ रहा है, बबलू परते द्वारा मारपीट करने से ही

उसके पति छोटू मरकाम को चोटें आई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके पति ने उसे बताया था कि जमीन के विवाद को लेकर आरोपी ने गंदी—गंदी गालियाँ दी थी। साक्षी ने प्र.पी.01 का कथन पुलिस को देना व्यक्त किया।

साक्षी गोमतीबाई अ.सा.०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार 08-किया कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि मारपीट करने वाले आरोपी के अलावा तीन-चार और अन्य लोग थे। यह स्वीकार किया कि आरोपी व उसके पति का जमीन विवाद उसके विवाह के पूर्व से चला आ रहा है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पति ने भी आरोपी से विवाद किया था और जमीन विवाद को लेकर उसके पति ने वाद-विवाद उसके विवाह के पहले किया था। यह स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर गई थी तो उसका पति बीच रोड पर पड़ा हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसका पति शराब का सेवन करता था। यह स्वीकार किया कि उसके पति ने उसके बिना रहे शराब का सेवन किया हो तो उसे जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति शराब पीकर गिर जाये तो उसे भी चोट आ जाती है। साक्षी के अनुसार उसके पति शराब नहीं पीते थे। यह अस्वीकार किया कि खेत में फिसलकर गिरने से ऐसी चोटें आ सकती है। यह स्वीकार किया कि किसी का अगर जमीनी विवाद रहे तो कोई भी किसी को झूठा आरोप लगा सकता है या फंसा सकता है तथा उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 उसे पुलिस ने पढ़कर नहीं बताया था।

09— साक्षी सखन मरकाम अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी को जानता हूँ। घटना उसके साक्ष्य तिथि से लगभग दो—तीन साल पूर्व रात्रि सात—आठ बजे की है। वह स्कूल तरफ से अपने घर परसाटोला जा रहा था, तब वहाँ उसे सड़क किनारे हेण्डपंप के पास छोटू पडा मिला, जिसे उसने उसके घर उसी की गाड़ी से ले जाकर छोड़ दिया था। उसे घटना के संबंध में इतनी ही जानकारी है। पुलिस ने उससे काई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रष्ट पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उसे घटना की तारीख याद नहीं है। वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनाक 25/11/13 की है या नहीं। यह अस्वीकार किया कि प्राथमिक शाला भवन चौराहा परसाटोला के पास झगड़े की आवाज सुनकर वह वहां पहुँचा, तो आरोपी बबलू, छोटू मरकाम को मॉ—बहन की गंदी गंदी गाली देकर लकड़ी से तथा लोहे की पतली छड़ से मार रहा था और आरोपी जाते—जाते छोटू को जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने उसका बयान प्र.पी.02 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह स्वीकार किया कि आहत जब उसे सड़क पर पड़ा हुआ मिला तो उससे शराब की बदबु आ रही थी।

10— डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 26.11.2012 को बी.एम.ओ. के पद पर मोहगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड से आरक्षक नजरू परते नम्बर 1072 द्वारा आहत छोटू पिता फूलिसंह उम्र 40 साल जाित गोंड निवासी परसाटोला को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के शरीर में खरोंच जो कूल्हे के ज्वाइंट के पीछे भाग पर पाया था तथा एक खरोच जो अनियमित आकार की थी, जो बाये कुल्हे के पार्श्व भाग पर स्थित थी। आहत को आई चोटें बोथरी व कडी वस्तु से पहुँचाना प्रतीत होती थीं। दोनों चोटें साधारण किस्म की थी। उक्त चोटें उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के अंदर की होना प्रतीत होती थी। दोनों घाव 03 से 07 दिवस में भर सकते थे यदि किसी प्रकार की जिटलता न हो तो। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कठोर स्थान पर गिर जाये तो उक्त चोटें आ सकती हैं।

- साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.04 का कथन है वह दिनांक 28.11. 2013 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी महोदय द्वारा उसे अपराध क्रमांक 165 / 13 धारा—294, 323, 324, 506 भा.दं.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु दी गई थी। दिनांक 28.11.2013 को उसके द्वारा ग्राम परसाटोला जाकर प्रार्थी छोटू मरकाम, प्रार्थी की पत्नी गोमतीबाई, गवाह सखनसिंह, पंचमसिंह से पूछताछ कर उनके कथन लिये गये थे। दिनांक 28.11.2013 को ही प्रार्थी छोटू मरकाम के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.12.2013 को आरोपी बबलू उर्फ नरेन्द्र से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म अस्वीकार किया एवं छोटू मरकाम को मारपीट करने की बात स्वीकार करने पर गवाह पंचमसिंह एवं चंदनसिंह के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड एवं एक बाड़ी की लकड़ी गवाह पंचमसिंह एवं चंदनसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण जमानती प्रकृति का होने से आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- 12— साक्षी मुकेश रंगारी अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा मौका नक्षा प्र.पी.04 की कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी के अनुसार प्रार्थी की निषादेही पर घटनास्थल पर तैयार की थी। यह अस्वीकार किया कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.05 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि घटना में प्रयुक्त बाड़ी की लकड़ी प्रायः सभी घरों में पाई जाती है। वह यह नहीं बता सकता

कि जप्तशुदा लोहे की रॉड आसानी से मिल जाती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा सभी साक्षियों के कथन अपने मन से लेख कर लिये गये थे। साक्षी के अनुसार साक्षियों के बताये अनुसार लेख किया था। यह स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

उपरोक्त साक्ष्य से घटना के समय आहत को चोटें आना 13-दर्शित है, परंतु क्या उक्त चोटे आरोपी द्वारा कारित की गई। उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। प्रकरण के परिवादी छोटू मरकाम के मृत होने के कारण साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है तथा अन्य किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। घटना के दोनों साक्षीगण ने घटनास्थल पर आहत के घायल अवस्था में पड़े होने के कथन किये हैं, परंतु घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। साक्षी सखन मरकाम अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय आहत से शराब की बदबू आ रही थी तथा चिकित्सक साक्षी डॉ0 उईके अ.सा.03 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कठोर स्थान पर गिरने से आहत को आई चोटें आ सकती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रतिकूल उपधारणा नहीं की जा सकती, जिससे यह प्रमाणित नहीं होती कि घटना के समय आरोपी द्वारा आहत को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की गई और आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

14— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लकड़ी एवं एक लोहे की रॉड 15-मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन हो।
- अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा 🖍

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

तर्हेट , बालाघाट (विद्यानीय क्रिक्टिंग क्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी